न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/595
मुकदमा नम्बर 197/2024 दर्ज दिनांक– 26.12.2024

नरोतम पुत्र गोरूराम उर्फ बोदूराम जाति मेहतर निवासी ग्राम बसावा,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील अनावेदक :— पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 666 पुराना 156 के अन्तर्गत खसरा नं. 1695/917 रकबा 0.13 है0 तथा खसरा नं. 925 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम गोरूराम के स्थान पर बोदूराम दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8461 दिनांक 17.06.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8461 दिनांक 17.06.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 666 पुराना 156 के अन्तर्गत खसरा नं. 1695/917 रकबा 0.13 है0 तथा खसरा नं. 925 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 के राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

प्रार्थीगण के पिता का नाम गोरूराम के स्थान पर बोदूराम, दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8461 दिनांक 17.06.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला—झुझुंनू

20/6/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक /भू अ /2025/ 8461

दिनांक 17/6/2025

प्रेषिति : – श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विषय : –उनवानी प्रकरण नरोतम बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 197/2024 अ.धारा 136 में तथ्यात्मक रिपॅार्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग : –श्रीमान के आदेश क्रमांक राजस्व / तहरीर/25/790 दिनांक 27.12.2024 की पालना में ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण नरोतम बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 197/2024 अ.धारा 136 में तथ्यात्मक रिपॅार्ट पटवारी हल्का बसावा से प्राप्त हुई है । जिसका अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में नाम पूर्णतः परिवर्तित हो रहे है, जो कि साबित करने का भार वादी पर है । वादी के साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : – मूल रिपॅार्ट

तहसीलदार (भू. अ.)नवलगढ

तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ

सेवामें,

14/6/25

श्रीमान् तहसीलदार साहब,
नवलगढ़।

विषय:- दीवानी प्रकरण नरोत्तम बनाम तहसीलदार नवलगढ़ मुकदमा नम्बर 197/2024 अन्तर्गत धारा 136 में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत/

प्रसंग:- आपके आदेश क्रमांक (मु०अ०) 7806 दिनांक 15/5/2025 के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बसावा के राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में खाता संख्या 666 में नरोत्तम, ललित पिता गोरूराम जाति मेहत्तर हिस्सा 1/2 का अंकन दर्ज है। जिसमें नरोत्तम, ललित पिता का नाम गोरूराम दर्ज है, को आवेदकगण अपने पिता का नाम गोरूराम के स्थान पर "बोदूराम" दर्ज करवाना चाहते हैं।

ग्राम पंचायत बसावा द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड में आवेदक नरोत्तम व ललित के पिता का नाम बोदूराम दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र, व मृत्यु प्रमाण पत्र में भी आवेदकगण के पिता का नाम बोदूराम ही दर्ज है। तथा बिजली के बिल में भी बोदूराम ही दर्ज है। आवेदकगण के स्वयं के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्रों में भी पिता का नाम बोदूराम ही दर्ज है। ग्राम बसावा के लोगों से प्राप्त सूचना के अनुसार भी आवेदकगणों के पिता नाम बोदूराम ही बताया गया है। अतः वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 666 में स्थित भूमि खसरा नम्बर $\frac{1695/917}{0.1300}$, $\frac{925}{0.8700}$ किता 2 रकबा 1.00 हैक्टेयर की खातेदारी में आवेदकगण नरोत्तम, ललित पिता गोरूराम के स्थान पर नरोत्तम, ललित पिता बोदूराम दर्ज किया जाना उचित है। अतः जाँच रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान् की सेवा में पेश है।

[signature]
[illegible] बसावा
9/06/2025

[signature]
09/06/2025
प.ह. बसावा